महत्वपूर्ण एवं खास

पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन प्रस्ताव 20 अगस्त तक आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 के लिए पद्म पुरस्कार श्रृंखला के तहत पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री पुरस्कार के लिए ऑनलाईन नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित की गई है। जिले के योग्य एवं पात्र व्यक्तियों से पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में 20 अगस्त 2024 तक आमंत्रित की गई है। ऑनलाईन नामांकन व सिफारिश की क्रमवार प्रक्रिया पोर्टल अवार्ड्स डॉट जीओवी डॉट इन https://awards.gov.in पर बताई गई है। पद्म पुरस्कारों से संबंधित विधान एवं नियमावली वेबसाईट पद्मावार्ड्स डॉट जीओवी डॉट इन https://padmaawards.gov.in पर उपलब्ध है।

उच्च शिक्षा कोर्स में सीट रिक्त होने पर एडमिशन 16 अगस्त तक होगा

सारंगढ़ बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के प्रारंभिक वर्ष में रिक्त सीट होने पर एडमिशन की अवधि 16 अगस्त 5024 तक वृद्धि किया गया है। इस आशय का पत्र उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय नवा रायपुर से जारी किया गया है।

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए प्राकृतिक आपदाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था से नामांकन 31 अगस्त तक आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों से वर्ष 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार देने हेतु भारत सरकार ने आवेदन आमंत्रित किया है। ऐसे बहादुर व्यक्ति या संस्था जिन्होंने प्राकृतिक आपदा में उत्कृष्ट कार्य किया है, वो इस पुरस्कार के लिए निर्धारित प्रपत्र में 31 अगस्त 2024 तक ऑनलाईन नामांकन प्रस्ताव पोर्टल अवार्ड्स डॉट जीओवी डॉट इन https://awards.gov.in पर भर सकते हैं। इस पुरस्कार की घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मतिथि पर की जाएगी। इसमें पुरस्कार राशि 51 लाख रूपए और 5 लाख रुपए निर्धारित है।

गर्भवती पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या

बिलासपुर-रायपुर (आरएनएस)। बिलासपुर से सनसनी खेज मामला सामने आया है। यहां सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम कुली में एक शख्स अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना की सुचना के बाद आसपास के लोगों ने डायल 112 को इसकी जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक, मृतिका रिंकी मैत्री ग्राम कुली में अपने पति प्रकाश मैत्री के साथ एक घर में बीते दो-तीन दिनों से रह रही थी। आज किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया प्रकाश मैत्री ने तैश में आकर पत्नी को कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद आसपास के लोगों की सुचना के बाद मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने पीड़िता को अस्पताल लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई इस मामले में सीपत थाना पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी पति की तलाश की और उसे ढूंढकर धर दबोचा और थाने ले आई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

रायगढ़ पुलिस ने 103 गुम व चोरी मोबाइलों को उनके स्वामियों को लौटाया

- रिकवर मोबाइल का बाजार मूल्य लगभग 16 लाख रुपए
- गुम व चोरी मोबाइलों को छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों से किया गया रिकवर
- गुम मोबाइल वापस पाने की उम्मीद छोड़ चुके मोबाइल स्वामियों के चेहरे पर लौटी खुशियाँ
- एसपी दिव्यांग पटेल ने दी मोबाइल सुरक्षा की अहम सलाह
- रायगढ़ सायबर सेल ने अब तक करीब ढाई करोड़ कीमत के 1600 से अधिक मोबाइल किए हैं रिकवर

रायगढ़

रायगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल मार्गदर्शन व साइबर सेल डीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर सायबर सेल की टीम ने गुम, चोरी हुए मोबाइलों की खोज में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पिछले दो महीनों में सायबर सेल ने इन 103 मोबाइलों को ट्रेस कर रिकवर किया, जिनका कुल बाजार मूल्य लगभग 16 लाख रुपये है।

इन मोबाइलों को छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों जैसे ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और बिहार से भी बरामद किया गया। बरामद किए गए मोबाइलों में वीवो, रेडमी, सैमसंग, रियलमी और एम.आई. जैसे महंगे ब्रांड शामिल हैं। पुलिस द्वारा इन मोबाइलों को उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किया गया, जिससे उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी।

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल ने मोबाइल स्वामियों को सलाह दी कि वे अपने मोबाइल को सुरक्षित रखें और किसी भी अन्य व्यक्ति का मोबाइल मिलने पर उसे नजदीकी थाने में जमा करें। उन्होंने यह भी कहा कि बिना बिल के मोबाइल कभी न खरीदें, ताकि किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधियों से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि चोरी या गुम हुए मोबाइल की आनलाइन रिपोर्ट CEIR की वेबसाइट https://www.ceir.gov.in पर किया जा सकता है। रायगढ़ सायबर सेल की यह पहल, अन्य जिलों के मुकाबले काफी प्रभावी साबित हुई है, जिसमें अब तक 1600 से अधिक गुम या चोरी हुए मोबाइलों को ट्रेस कर उनके स्वामियों तक पहुंचाया गया है, जिनकी कीमत लगभग रु.2.50 करोड़ है। साइबर डीएसपी अभिनव उपाध्याय, डीएसपी अमन लखीसरानी के साथ पूरी सायबर टीम गंभीर मामलों में अपराध विवेचना में सहयोग के साथ गुम/चोरी हुए मोबाइलों को रिकवर करने में लगातार जुटी हुई है। मोबाइल रिकव्हर के कार्य में सायबर सेल के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, दुर्गेश सिंह, बृजलाल गुर्जर, रेणु सिंह मंडावी, आरक्षक प्रशांत पंडा, महेश पंडा, धनंजय कश्यप, विकास प्रधान, प्रताप बेहरा, नवीन शुक्ला, सुरेश सिदार, पुष्पेन्द्र जाटवर, रविंद्र गुप्ता, विक्रम सिंह, महिला आरक्षक मेनका चौहान की सराहनीय भूमिका रही है।

ग्राम जुर्डा में चक्रधरनगर पुलिस ने लगाया जन चौपाल, ग्रामीणों से थाना प्रभारी ने की सीधी बात

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन में चक्रधरनगर पुलिस द्वारा साइबर व अन्य अपराधों की जानकारी व रोकथाम के लिए सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्राम जुर्डा में कल जन चौपाल का आयोजन किया गया। जहां थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव ने ग्रामीणों से सीधे संवाद स्थापित किया। इस अवसर पर पुलिस ने गांव की समस्याओं के बारे में ग्रामीणों से जानकारी ली और उन्होंने समाधान के लिए सुझाव दिए।

थाना प्रभारी ने ग्रामीणों से कहा कि वे अवैध शराब, जुआ, और सट्टा जैसी गतिविधियों की जानकारी पुलिस को तुरंत दें, ताकि इन अपराधों पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही, उन्होंने बढ़ते साइबर क्राइम के खतरों पर भी चर्चा की और ग्रामीणों को इससे बचाव के उपाय बताए।

यातायात नियमों की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने सभी से अपील की कि वे शराब पीकर और तेज गति से वाहन न चलाएं, सुरक्षित ड्राइविंग के नियमों का पालन करें।

चौपाल में पुलिस ने ग्रामीणों को यह भी बताया कि किसी भी असामाजिक गतिविधि या आपात स्थिति में वे तुरंत डायल 112 पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस के जन चौपाल में गांव की महिलाओं और पुरुषों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पुलिस की इस पहल की सराहना की। इसे गांव में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया।

छत्तीसगढ़ में अब तक 744.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज

रायपुर । आरएनएस

राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 744.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 09 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1671.6 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 358.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 672.3 मिमी, बलरामपुर में 951.4 मिमी, जशपुर में 565.1 मिमी, कोरिया में 698.5 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 712.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। इसी प्रकार, रायपुर जिले में 654.0 मिमी, बलौदाबाजार में 789.6 मिमी, गरियाबंद में 719.9 मिमी, महासमुंद में 545.0 मिमी, धमतरी में 703.8 मिमी, बिलासपुर में 687.7 मिमी, मुंगेली में 714.7 मिमी, रायगढ़ में 616.3 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 414.3 मिमी, जांजगीर-चांपा में 711.5 मिमी, सक्ती 595.3 कोरबा में 931.4 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 682.8 मिमी, दुर्ग में 483.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 592.8 मिमी, राजनांदगांव में 794.4 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 910.8 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 545.0 मिमी, बालोद में 834.6 मिमी, बेमेतरा में 432.7 मिमी, बस्तर में 829.8 मिमी, कोण्डागांव में 782.5 मिमी, कांकेर में 1000.2 मिमी, नारायणपुर में 913.1 मिमी, दंतेवाड़ा में 981.2 मिमी और सुकमा जिले में 1063.3 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

इलाज के दौरान मरीज के हाथ में हुई दिक्कत के संबंध में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉ.मनोज कुमार मिंज ने दी जानकारी

रायगढ़

मरीज के हाथ को काटने की नौबत आ जाने के संबंध में खबरें समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। जिसके संबंध में संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति, शासकीय चिकित्सालय, रायगढ़ के अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार मिंज ने जानकारी देते हुए बताया कि संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति, शासकीय चिकित्सालय, रायगढ़ के मेडिसीन विभाग अंतर्गत फिमेल मेडिकल वार्ड में 19 वर्षीय कुमारी मुस्कान रात्रे, निवासी मिट्ठुमुड़ा रायगढ़ जो कि 4 अगस्त 2024 की सुबह चिकित्सालय के आपातकालीन चिकित्सा विभाग में उल्टी-दस्त के उपचार हेतु भर्ती हुई थी। इसके उपचार हेतु चिकित्सक के द्वारा दवाएं लिखी गई। जिसमें IV Metronidazole. IV Fluid RL, IV Fluid Ns, IV Pantoprozole, Iv Ondansetron, Tablet Pre-Probiotics, Tablet Rececadrotil Prescribe दवा शामिल शामिल था। उन दवाईयों हेतु नर्सिंग स्टॉफ द्वारा दाये हाथ में आईवी कैनुला लगाते ही अधिक दर्द होने के कारण आईवी कैनुला को तुरन्त निकाल दिया गया और उपचार हेतु दूसरे हाथ (बांये)में आईवी कैनुला लगाया गया। कार्यरत नर्सिंग सिस्टरों द्वारा उक्त घटना की जानकारी चिकित्सकों को दी गई और मरीज को चिकित्सक द्वारा देखा गया।

अगले दिन चिकित्सक के राउण्ड के दौरान मरीज द्वारा हाथ में दर्द होने की शिकायत की गई, जिसे चिकित्सक द्वारा जांच करने पर पाया गया कि दाहिनी कोहनी में सूजन, दाहिने कलाई में कमजोरी तथा दाहिने हाथ के ऊंगलियों में नीलापन पाये जाने के पश्चात तुरंत मरीज के परिजन को यथास्थिति से अवगत कराया गया एवं चिकित्सालय के सर्जरी विशेषज्ञ से जांच एवं परामर्श के बाद उचित उपचार हेतु समय रहते मेकाहारा रायपुर कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी विभाग के पास 6 अगस्त को समय दोपहर 12 रिफर कर दिया गया था। मरीज के परिजनों को उसी समय मरीज की स्थिति को देखते हुए सलाह दी गई कि बिना विलम्ब किए मेकाहारा रायपुर में जाकर उपचार कराये। जिसके पश्चात 8 अगस्त 2024 को उपरोक्त शिकायत के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर मरीज को अपेक्स हॉस्पिटल में जांच एवं उपचार हेतु भर्ती पाया गया। जिसे जिला प्रशासन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ से समन्वय स्थापित करते हुए पुन: उचित उपचार हेतु मेकाहारा रायपुर कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी विभाग भेज दिया गया है।

अवैध शराब पर चक्रधरनगर पुलिस की बड़ी कार्यवाई : 153 पाव अवैध अंग्रेजी शराब के साथ युवक गिरफ्तार, स्कूटी भी जब्त

रायगढ़

चक्रधरनगर पुलिस ने आज दोपहर अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता प्राप्त की। मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बोईरदादर चौक के पास सिल्वर रंग की टीवीएस जुपिटर स्कूटी (क्रमांक सीजी 13 एडब्लू 3943) को रोका, जिसमें अंग्रेजी शराब की अवैध खेप ले जाई जा रही थी।

स्कूटी चालक, दीप सिंह पवार (24 वर्ष), निवासी सोनिया नगर, कोतरारोड़, थाना कोतवाली, रायगढ़ ने पुलिस को बताया कि वह शालिनी स्कूल से उर्दना की ओर शराब बिक्री के लिए जा रहा था। पुलिस ने गवाहों की उपस्थिति में स्कूटी की तलाशी ली, जिसमें "विमल" लिखे दो थैलों में गोवा स्पेशल अंग्रेजी शराब की 153 पाव (कुल 27.540 लीटर) बरामद हुई। जब्त शराब की कीमत लगभग 19,890 रुपये आंकी गई है।

पुलिस ने मौके पर ही आरोपी दीप सिंह पवार को गिरफ्तार कर लिया और उसे आबकारी एक्ट के तहत न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। इस त्वरित कार्रवाई में टीआई प्रशांत राव आहेर के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक श्यामदेव साहू, रवि साय, आरक्षक विनोज लकड़ा ,चंद्रकुमार बंजारे और नंद कुमार पैंकरा शामिल थे।

टीआई प्रशांत राव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन एवम् सीएसपी आकाश शुक्ला के मार्गदर्शन में अवैध शराब के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहेगी और असामाजिक तत्वों पर लगाम लगेगी।

18 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ एक गिरफ्तार, कोतरारोड़ पुलिस की कार्यवाई

रायगढ़। रायगढ़ जिले के कोतरारोड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संजय कुमार मांझी नामक व्यक्ति को आज सुबह मेन रोड बरमुडा के पास घेराबन्दी कर गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम पचेड़ा निवासी संजय कुमार मांझी (उम्र 36 वर्ष) अवैध महुआ शराब बिक्री के लिए लेकर जा रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मेन रोड बरमुडा के पास घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। आरोपी के कब्जे से 18 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 1800 रुपये है। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला में आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी के साथ प्रधान आरक्षक शंकर राम कालो, आरक्षक चंद्रेश पांडेय, प्रवीण राज और राकेश नायक शामिल थे।

नदी नाला और जलाशयों में 15 अगस्त तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित

- छोटे तालाब या जिसका किसी नदी नाला से संबंध नहीं, उन पर लागू नहीं

सारंगढ़ बिलाईगढ़

वर्षा ऋतु में मछलियों की प्रजनन को ध्यान रखते हुए उन्हे संरक्षण देने के लिए राज्य शासन ने 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। सहायक संचालक मछली पालन से मिली जानकारी अनुसार राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3, उप धारा 2 के तहत 15 अगस्त 2024 तक बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। इस अवधि में मत्स्याखेट पूर्णत निषिद्ध रहेगा। जिले के नदियों-नालों, छोटी नदियों और उनकी सहायक नदियों जिन पर सिंचाई के लिए तालाब या जलाशय (बड़े या छोटे) निर्मित किये गये हैं, ऐसे सभी जलाशयों में मत्स्याखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यह नियम केवल छोटे तालाब या जल स्त्रोत, जिनका कोई संबंध किसी नदी से, नाले से नहीं है के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होंगे। इस अवधि में मत्स्याखेट करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास या 10 हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है।

पशुओं के बीमार होने पर डायल करें हेल्पलाइन 1962 पशु मोबाइल मेडिकल एम्बुलेंस प्रदान करेगा घर पहुंच सेवा

सारंगढ़ बिलाईगढ़

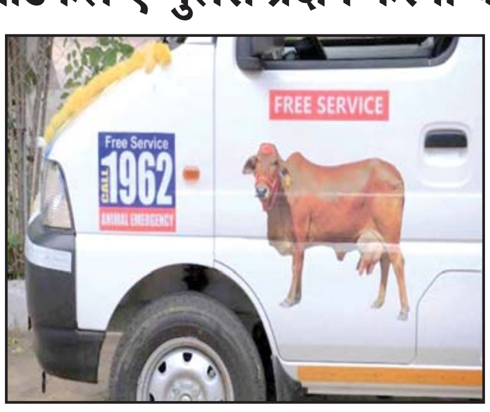

पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और छत्तीसगढ़ सरकार के पशुधन विकास विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई संचालित है, जिसके लिए हेल्पलाइन 1962 डायल करके पशु चिकित्सा के लिए अपना जानकारी देना होगा, जिसके बाद पशुधन मालिक के दरवाजे पर 1962 वाहन डॉक्टर सहित समय पर उपचार प्रदान करेगा।

1962 डायल के बाद जांच प्रक्रिया:- जब दिन के किसी भी समय 1962 आपातकालीन सेवा केंद्र पर पशुधन मालिक से इमरजेंसी कॉल प्राप्त होता है, तो पूछकर बेसिक जानकारी प्राप्त किया जाता है और कॉल करने वाले को उनके निकटतम सरकारी मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक/एम्बुलेंस, अस्पताल तक जानकारी प्रसारित की जाती है। कॉल सेंटर में पशु चिकित्सक आपातकाल के प्रकार का पता लगाता है और या तो ऑनलाइन मेडिकल डायरेक्शन (ओएलएमडी) प्रदान करता है या एम्बुलेंस भेजता है। पशु चिकित्सक के साथ एम्बुलेंस पशुपालक के दरवाजे तक पहुंचती है, बीमार मवेशियों की स्थिति का आकलन करती है और मौके पर ही उपचार प्रदान करती है। इस 1962 सुविधा के लिए राज्य शासन से कई कंपनी ने आपात सेवा देने के लिए अनुबंध किया है, जिसके तहत वे निरंतर काम कर रहे हैं।

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के 25 कैडेट स्काउट्स राज्य पुरस्कार हेतु बिलासपुर में परीक्षा देंगे

सारंगढ़ बिलाईगढ़

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त डॉ सोमनाथ यादव, राज्य सचिव कैलाश सोनी, जिला शिक्षाधिकारी, डिप्टी कलेक्टर डॉ वर्षा बंसल के निर्देशन में साइंस कॉलेज बिलासपुर में आयोजित होने वाली राज्य पुरस्कार स्काउट जांच परीक्षा में प्रभारी शिक्षक समय लाल काठे के साथ 25 स्काउट सकुशल शिविर में पहुंच चुके हैं। बालक हाईस्कूल सरिया से देवा मेहर, सत्यम दुबे,शिवम दुबे, उमाकांत यादव, समीर टंडन, हाईस्कूल देवगांव से अमन पटेल, मधुसूदन निषाद, हाईस्कूल घरजरा से महेंद्र प्रताप, रमेश सिदार, विश्वनाथ भोई, उमेश बारीक, जितेंद्र साहू, विकास साहू, कृष जाटवर,आयुष सिदार,हाईस्कूल पुरगांव से चमन कुमार पाटले, दुर्गेश वर्मा, हरीश खोटे, विनय कुर्रे,दिनेश कुमार चेलक, धोबनी से लोचन निराला, हाईस्कूल सरसीवा से दुर्गेश लहरे, के पी बंधापाली से प्रेम मालाकार, ओम पटेल, पीयूष मालाकार सभी बच्चों ने 10 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरांत स्काउटिंग में प्रवेश लेकर पूर्ण अनुशासन में रहते हुए दीक्षा संस्कार, प्रथम द्वितीय और तृतीय सोपान की जाँच परीक्षाओं में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने के पश्चात इस राज्य स्तरीय जांच परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र हुए हैं। इस परीक्षा में सफल होने पर उन्हें वार्षिक परीक्षा में 10 अंक बोनस प्राप्त होता है एवं समस्त शासकीय गतिविधियों में विशेष प्राथमिकता दी जाती है।

स्काउट लीडर ट्रेनर पूनम सिंह साहू ने बताया कि यह जांच परीक्षा 8 से 12 अगस्त 2024 तक संचालित होगा जिसके शिविर संचालक राज्य संगठन आयुक्त सी एल चंद्राकर के साथ सफल बनाने के लिए बहुत ही अनुभवी 10 सहायक शिविर संचालक सम्मिलित है, जिसमें सरगुजा एवं बिलासपुर संभाग से 125 स्काउट एवं सभी जिलों से एक-एक प्रभारी स्काउटर सम्मिलित हुए हैं। सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक मौखिक एवं लिखित परीक्षाएं प्रायोगिक कार्य आयोजित किए जाएंगे। समस्त गतिविधियों में सफल होने पर उनके नाम पर प्रतिवेदन राज्य मुख्यालय को भेजा जाएगा। राज्य मुख्यालय संघ संतुष्ट होने पर उन्हें महामहिम राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के जिला प्रशिक्षण आयुक्त शंकर लाल साहू, कोषाध्यक्ष पूनम सिंह साहू, सचिव दीपक पांडे, जिला मुख्यालय आयुक्त पवन कुमार नायक, जिला संगठन आयुक्त लिंगराज पटेल, भागवत प्रसाद साहू, धात्री नायक व वृंदा साहू, विकासखंड सचिव राजाराम साहू, ओम प्रकाश चौहान व देव साहू, मीडिया प्रभारी देवकुमार कर्ष,राजेंद्र निषाद, हीरालाल पटेल, रक्षपाल साहा के साथ जिला एवं विकासखंड के समस्त पदाधिकारियों ने सभी की सफलता के लिए अग्रिम बधाई एवं शुभकामना प्रेषित किया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480